

## राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/12475-83 दिनांक : 08.03.19

परियोजना अधिकारी,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
डूंगरपुर।विषय : अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

विभागीय पत्रांक 11000-30 दिनांक 28.02.2019 द्वारा निम्नानुसार अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है एवं कार्यो की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत को नियुक्त किया जाता है।

प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित कार्यो की पंचायत समिति डूंगरपुर से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-7 में वर्णित राशि अनुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है -

## कार्यकारी एजेन्सी-ग्राम पंचायत

क्र.स.	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण का नाम	ग्रा.पं.	पंस.	प्रशा.स्वी. अनुसार राशि	तकनीकी स्वीकृति	
					क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राउप्रावि घोडाघाट में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्ष अलग-अलग मय बरामदा निर्माण, ग्राम माडा	माडा	डूंगरपुर	5.00	AEN/MNREGA/1771/15.02.19	9.51

उपरोक्त कार्य हेतु राशि की व्यवस्था पृथक से की जावेगी।

## शर्त-

- यदि कोई कार्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
- राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी। कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करावे।
- विभागीय अभियंताओ एवं प्लेसमेंट के माध्यम से आई.टी.डी.पी. अन्तर्गत कार्यरत अभियंताओ के माध्यम से कार्यो का निरीक्षण करवाया जावेगा।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
- कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा) I.A.S

आयुक्त

कृ.पू.उ.

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/12475-83 दिनांक : 08.03.19  
प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
6. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

\*  
अतिरिक्त आयुक्त  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
उदयपुर (राज.)